FIVE RUPEES भारत INDIA पांच रुपये COURT FEE
TWO RUPEES भारत INDIA दो रुपये COURT FEE
COURT FEE INDIA 50 पैसे 50PAISE

न्यायालयः- माननीय राजस्व परिषद ग्वालियर संभाग ग्वालियर म.प्र.

प्रकरण क्रमांक /93- निगरानी

RN/12-5/R/1163/93

27-12-93

<1> भेरा आत्मज ऊंकारजी
<2> सम्पतबाई पति हीरालालजी
धंधा कृषि निवासीगण ग्राम लसूड़िया बाजा
परगना घटिटया जिला उज्जैन
~~-अपीलान्ट~~
-प्रार्थीगण

विरूद्ध

करणसिंह आत्मज कालूसिंहजी धंधा कृषि
निवासी ग्राम लसूड़ियाबाजार परगना घटि
जिला उज्जैन
~~---रिस्पान्डेन्ट~~
---प्रतिप्रार्थी

विषयः- म.प्र.भू.रा.संहिता की धारा ~~<50>~~ 50 <1> के आधीन माननीय अति.आयुक्त महोदय उज्जैन जिला उज्जैन द्वारा प्रकरण क्रमांक 209/91-92 अपील में दिनांक 21-10-93 को प्रदान किये गये निर्णय के विरूद्ध निगरानी।

माननीय महोदय,

प्रार्थीगण की ओर से निम्नलिखित निगरानी अवधि में प्रस्तुत है

<1> यह कि, अपीलेट अधिनस्थ योग्य न्यायालय ने प्रार्थीगण के द्वा प्रस्तुत अपील को अवधि बाहर मानने में वैधानिक भूल की है। ~~अपीलान्ट~~ प्रार्थीग ने अवधि विधान की धारा 5 के आधीन आवेदन-पत्र व शपथ-पत्र प्रस्तुत किया इस पर अधिनस्थ अपीलेट न्यायालय ने विचार नहीं करते हुए अपील को अवधि बाह्य मानने में वैधानिक व घटनात्मक भूल की है।

<2> यह कि, अधिनस्थ अपीलेट न्यायालय ने अपील में उठाये गये पर विचार नहीं करने में वैधानिक भूल की है।

<3> यह कि, तहसील न्यायालय ने प्रकरण साक्ष्य के लिये नियत न किया था किन्तु साक्ष्य ले ली गई इस प्रश्न पर अधिनस्थ योग्य अपीलेट न्याया

न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश-ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक आर.एन./12-5/आर/1169/93 भैरा/करणसिंह जिला उज्जैन

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अ आदि के हस्ताक्ष
23-3-2018	आवेदक की ओर से कोई उपस्थित नहीं । प्रकरण का अवलोकन किया गया । यह प्रकरण वर्ष 1993 से प्रचलित है और आवेदक द्वारा लम्बे समय से अनुपस्थित है । न्यायहित में आवेदक की उपस्थिति के लिए प्रकरण में आज दिनांक 23-3-2018 तक इंतजार किया गया । अत: आवेदक को प्रकरण के निराकरण में रूचि नहीं होने के कारण प्रकरण इसी स्तर पर समाप्त किया जाता है । अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख वापिस किया जाये । प्रकरण दाखिल रिकार्ड हो । अध्यक्ष	